राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

विनोड / हरिनारायण

तारीख पेशी	380/2012 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 225 RTACT	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/10/17	अधि. अभिभाषक/पैरवीकार उपस्थित। उभयपक्ष को आवश्यक रूप से बहस करने की हिदायत दी गई। पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल दिनांक 26/10/17 को पेश हो।	Noted for 26-10-17 Sanjay Mishra Adv.
26.10.17	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधि. उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 06.11.17 को पेश हो।	अधि. नोट
06/11/17	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। समयाभाव के कारण आज आदेश लिखाया नही जा सका। अतः पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 24/11/2017 को पेश हो।	
24/11/17	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त मे तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इन तथ्यो के साथ प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है एवं वाद के पैरा नम्बर 5 व 6 मे अंकित आराजीयात संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति है। वादी के दादा श्यामलाल जी की निजी खातेदारी की आराजीयात रही है, जिनकी मृत्यु के पश्चात संदर्भित आराजीयात को उनके पिता प्रतिवादी सं. 1 हरिनारायण एवं उनकी दादी श्रीमति लक्ष्मा ने मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति को जरिये इकरारनामा विक्रय कर दी एवं उससे प्राप्त धनराशि से अन्य आराजीयात ग्राम ढवर का बास परवार हलका नांगल पुरोहित भू-अभिलेख	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

विनोद / हरिनारायण

तारीख हुक्म	380/2012 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए
	निरीक्षक क्षेत्र हरमाड़ा तहसील आमेर मे स्वयं एवं सुरेश कुमार व श्रीमति लक्ष्मी देवी के नाम क्रय की एवं साथ ही कुछ रिहायशी प्लाट क्रय किये। उक्त समस्त सम्पत्तियाँ हिन्दु संयुक्त परिवार के पैसो से क्रय की गई सम्पत्तियाँ है किन्तु अब उनके पिता एवं अन्य भाई उससे रंजिश की वजह से संयुक्त परिवार की संयुक्त जायदाद से वंचित रखने की नियत से विवादित सम्पत्तियो को बेचान करने पर आमदा है इसलिये वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर कहना है कि, कि अप्रार्थीगण को ता-फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर आदेशित किया जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की संयुक्त हिन्दु परिवार की उक्त विवादग्रस्त अचल सम्पत्ति में प्रार्थी को काश्त करने से नही रोके एवं उक्त सम्पत्ति को या उसके किसी भाग को सम्पूर्ण रूप से अपना बतलाकर किसी को रहन, विक्रय या बख्शीस नही करे, न ही इस सम्बन्ध मे कोई दस्तावेज किसी के हक मे तहरीर या तकमील नही करे। उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अप्रार्थीगण द्वारा पृथक-पृथक जवाब प्रस्तुत हुआ। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारो की बहस सुनकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र यह अंकित करते हुये कि प्रस्तुत दस्तावेजात व नजीरो का अवलोकन किया। विवादग्रस्त भूमि वादी की पैत्रिक व मोरूसी जायदाद नही है बल्कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 की स्वयं अर्जित सम्पत्ति है। ऐसी स्थिति मे प्रथमदृष्टया	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

विनोद / हरिनारायण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
380/2012	वाद का व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है तथा न ही प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति की कोई सम्भावना प्रतीत होती है अत: प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय मे यह अपील प्रस्तुत हुई। जिसपर बहस अभिभाषक पक्षकारान सम्मायत की गई।	
	अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील एवं अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्यो को दोहराया एवं बहस मे निवेदन किया कि संयुक्त परिवार की मौरूसी सम्पत्ति में प्रत्येक सदस्य का निहित हिस्सा होता है एवं दादा की सम्पत्ति मे पोते का हक जन्म से ही होता है। संदर्भित आराजीयात के संदर्भ मे प्रत्यर्थी रेस्पोडेन्टस द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्रो मे भी यह तथ्य स्वीकार गया है कि प्रश्नगत आराजी पैतृक सम्पत्ति है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजर अन्दाज करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने मे कानूनी गलती की है। अत: अपील स्वीकार करमाई जाकर रेस्पोडेन्टस को प्रतिबन्धित किया जावे।	
	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट-2 ने मुख्य रूप से यह कानूनी मुद्दा उठाया कि पैतृक सम्पत्ति मे पिता के जीवनकाल मे बेटे को विभाजन का अधिकार नही होता। इस संदर्भ में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट-2 द्वारा	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	380/2012 विनोद / हरिनारायण / हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2011 RBJ-126, 112 व 2009(1) RRT-162, (S.C.), 391(DB), 2001 (1) RRT-15, 2003(1) RRT 585, 1996 RRD-658, 1995 RRD-658, 1977 RRD-233 (LB), 95(DB), उद्दरित की एवं अपील निरस्त किये जाने की इल्तजा की। हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट-2 द्वारा उद्दरित माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2009 (1) RRT-162 मे प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार जिसमे की माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार प्रतिपादित किया है "Code of Civil Procedure, 1908 - order 39 Rule 4 - Trial Court vacated the order of tempoarary injunction - Necessary ingredients not found in favour of Plaintiff - Disputed Property was grandfather of Plaintiff & his father is alive - No right to claim division in presence of the father - Plea of gift deed of property executed in favour of mother but neither original gift deed produced nor mother filed the Suit - Held, Suit is not maintainable & Trial Court has as-signed just & cogent reasons - order upheld" के अनुसरण मे विचाराधीन अपील संधारण योग्य नही रहता है। अतः उपरोक्त विवेचन	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
380/2012	विनोद / हरिनारायण	
	के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।	
	पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	आदेश आज दिनांक 24/11/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।	
	(हस्ताक्षर)	